



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 26 अक्टूबर, 2020

कार्तिक 4, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
सहकारिता अनुभाग-1

संख्या 1654/49-1-20-08(40)-2013
लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-299

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के अधीन समस्त सेवाओं में छः माह की अवधि के लिये हड़ताल तत्काल प्रभाव से निषिद्ध करती हैं।

2-उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,
एम0 वी0 एस0 रामी रेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1654 /XLIX-1-20-08(40)-13, dated October 26, 2020:

No. 1654 /XLIX-1-20-08(40)-13

Dated Lucknow, October 26, 2020

WHEREAS the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U. P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit strikes in all services with immediate effect for a period of six months under the Uttar Pradesh Primary Agricultural Co-operative Credit Societies.

2. Under sub-section (2) of the said section, the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,
M. V. S. RAMI REDDY,
Apar Mukhya Sachiv.